कार्यालय : मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, बिजनौर

पत्रांक–स–5 / सी0एफ0ओ0– (स्कूल)–48 / 2017 दिनांक– 4.07.20

सेवा में

स्वामी / प्रबन्धक
फ्यूचर चिल्ड्रन एकेडमी
शिवाला कला तहसील चान्दपुर
जनपद बिजनौर।

विषय :– फ्यूचर चिल्ड्रन एकेडमी शिवाला कला तहसील चान्दपुर –जनपद बिजनौर। को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का कार्यशीलता प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :

आपके आवेदन पत्र दिनांक 20.07.2017 के क्रम में।

महोदय,

कृपया उक्त विषय / सन्दर्भित पत्र के क्रम में फ्यूचर चिल्ड्रन एकेडमी शिवाला कला तहसील चान्दपुर जनपद बिजनौर का सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अग्निशामक व्यवस्था का वार्षिक अनुरक्षण / निरीक्षण कराकर वांछित शुल्क ट्रैजरी चालान द्वारा राजकीय कोष में जमा करा दिया गया है। प्रश्नगत स्कूल में निम्नानुसार प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्था कार्यशील दशा में उपलब्ध पायी गयी:–

1– ए0बी0सी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 04 केजी0–02 अदद।
2– डी0सी0पी0 टाईप फायर एक्सटिंग्यूशर क्षतता 04 के0जी0–02 अदद।
3– फारय बकेट्स..................04 अदद।

इस कार्यालय के ऊपर वर्णित पत्रों द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशो का अनुपालन सुनिश्चित करने के साथ–साथ पूर्व में निर्देशित अग्निशमन सुरक्षा व्स्थाएं एवं उपलब्ध समसत अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने का दायित्व स्वामी / प्रबन्धक का होगा। इसके अतिरिक्त अग्निशमन उपकरणों के मेन्टीनेंस हेतु एक मेन्टीनेंस रजिस्टर प्रतिष्ठान में बनाकर रखा जायेगा, जिसमें दैनिक, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक, वार्षिक कार्यकलापों का विवरण अंकित किया जायेगा तथा भवन में फायर ड्रिल, अग्निशमन पद्धति का अनुरक्षण व सावधि अग्निसुरक्षा लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार करानी अनिवार्य होगी।

अतः उपरोक्त अग्निशामक व्यवस्था हर समय कार्यशील दशा में बनाये रखने तथा अग्निसुरक्षा निर्देशो का पालन करने की शर्त पर एक वर्ष के लिए कार्यशीलता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

हुस्ना बानो
प्राचार्या
केन्द्रीय विद्यालय
सी0आर0पी0एफ0, रामपुरा उ0प्र0

4.07.2017
(संतोष कुमार राय)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी,
बिजनौर

प्रतिलिपि :– प्रभारी अग्निशमन अधिकारी चान्दपुर, जनपद बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि सम्बन्धित की पत्रावली पर सुरक्षित रखेंगे तथा समय–समय पर आकस्मिक निरीक्षण करके उक्त स्थिति का आंकलन करते रहेंगे। आकस्मिक निरीक्षण में यदि किसी प्रकार कीअनियमितता मिलती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही करके यथा स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायेंगे क्योंकि आग से होने वाली क्षति व्यक्तिगत क्षति के साथ राष्ट्र की भी क्षति है, जिसकी भरपाई किया जाना सम्भव नही है।

PRINCIPAL
POLICE MODERN SCHOOL
40th Bn. P.A.C. Haridwar (U.K.)
Affiliated to CBSE No. 3580011

MANAGER
FUTURE CHILDREN ACADEMY
SHIVALA KALAN (BIJNOR)

Principal
Future Childern Academy
Shivala Kalan (Bijnor)